

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 251/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/379
प्रार्थी बनाम

विप्रार्थीगण

कालूराम पुत्र रतनाराम
जाति जाट निवासी चारलाई खुर्द
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. खेमराम पुत्र चौखाराम
2. पनाराम पुत्र चौखाराम
3. हमीराराम पुत्र सोनाराम
4. कंवराराम पुत्र चेतनराम
5. गुणेशाराम पुत्र चेतनराम
जाति जाट
6. बींजाराम पुत्र चिमाराम
7. सालगराम पुत्र चिमाराम
जाति मेगवाल
8. नरसिंगाराम पुत्र सोनाराम
9. हीमथाराम पुत्र ताजाराम
10. अमराराम पुत्र ताजाराम
11. गोपाराम पुत्र ताजाराम
जाति जाट निवासी छाछरलाई खुर्द
तहसील कल्याणपुर
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री पुनमाराम चौघरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 27.10.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम छाछरलाई खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 152/63 व 56 कुल क्षेत्रफल 13.2980 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/63 क्षेत्रफल 1.9668 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम छाछरलाई खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 152/63 व 56 कुल क्षेत्रफल 13.2980 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/63 क्षेत्रफल 1.9668 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तालब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तालब शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम छाछरलाई खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 152/63 व 56 कुल क्षेत्रफल 13.2980 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/63 क्षेत्रफल 1.9668 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते हैं। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम

छाछरलाई खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 152/63 व 56 कुल क्षेत्रफल 13.2980 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/63 क्षेत्रफल 1.9668 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी के आदेश फरमावे

4. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम छाछरलाई खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 152/63 व 56 कुल क्षेत्रफल 13.2980 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/63 क्षेत्रफल 1.9668 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी प्रथम दृष्यता हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल. आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 15.6.2023 की प्रमाणित प्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छाछरलाई खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 152/63 व 56 कुल क्षेत्रफल 13.2980 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/63 क्षेत्रफल 1.9668 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।



आदेश आज दिनांक 27/10/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड-अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा